प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

युगलपीठ

दांडिक अपील संख्या 757/2002

गोवर्धन राम साहू

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार के लिए निर्णय

माननीय न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र मिश्रा

हस्ताक्षरित/–

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

दिनांक 06 फरवरी को निर्णय हेतु सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित /–

एल सी भादू

न्यायाधीश

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 757/2002</u>

गोवर्धन राम साहू

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित

श्री एम. के. तिवारी — अपीलकर्ता की ओर से

श्री अखिल मिश्रा और श्री एम. पी. एस. भाटिया

पैनल अधिवक्ता — उत्तरवादी की ओर से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>युगलपीठ</u>

<u>माननीय श्री एल. सी. भादू और</u>

<u>माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा</u>

<u>निर्णय</u>

(06 फरवरी 2006 को उद्घोषित)

<u>न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति एल सी भादू द्वारा उद्घोषित किया गया</u> :

1. इस अपील द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपीलकर्ता गोवर्धन ने सत्र परीक्षण क्रमांक 7/2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2002 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की वैधता पर प्रश्न उठाया है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश

ने अभियुक्त/अपीलकर्ता गोवर्धन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपनी पत्नी तोमिन बाई की हत्या कारित करने के अपराध में सिद्धदोष करते हुए उसे आजीवन कारावास और 2,000/– रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी, जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास; और 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/– रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई थी ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि राधा बाई का विवाह अभियुक्त/अपीलकर्ता गोवर्धन से हुआ था, क्योंकि वह गर्भधारण करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वर्ष 1999 में तोमिन (अब मृत) का विवाह अभियुक्त/अपीलकर्ता से हुआ था, चूंकि अभियुक्त/अपीलकर्ता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए 19 और 20 सितंबर, 2000 की मध्यरात्रि को जब तोमिन बाई अपने कमरे में सो रही थी, अभियुक्त/अपीलकर्ता उसके कमरे में गया और हाथों से उसकी गर्दन दबा दी और गला घोंटने के कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। सबूतों को गायब करने और यह सबूत बनाने के लिए कि तोमिन बाई की मृत्यु जहर के सेवन से हुई है, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने तोमिन बाई के मुंह में कीटनाशक डाल दिया। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह था कि अभियुक्त/अपीलकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर तोमिन बाई को पर्याप्त दहेज न लाने के लिए प्रताड़ित करता था और उसके साथ क्रूरता करता था। आरोपी गोवर्धन ने पुलिस को झूठी सूचना दी कि तोमिन बाई की जहर खाने से मृत्यु हो गई है। सूचना के आधार पर, थाना प्रभारी ने विवेचना शुरू की और घटनास्थल पर पहुँचकर पंचों को सूचना (प्रदर्श पी–1) देकर मृतका तोमिन बाई के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी–2) तैयार किया। चूंकि मृतका तोमिन बाई के पिता अ.सा.–1 चंदूलाल ने तोमिन बाई की मृत्यु के कारण के बारे में संदेह जताया था, इसलिए तोमिन बाई के शव को शवपरीक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया गया और उसे शवपरीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मगरलोड भेजा गया, जहां डॉ. के.के. सोनी (अ.सा.–9) ने डॉ. नवरतन के साथ मृतका तोमिन बाई के शव का 21.9.2000 को लगभग 11.30 बजे सुबह शवपरीक्षण किया और पाया कि तोमिन बाई की थायरॉइड कार्टिलेज फटी हुई थी, गर्दन पर चोट के निशान थे, गहरे ऊतकों पर चोट के निशान थे, स्वरयंत्र और ग्रसनी बंद थे, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दे बंद थे, मुंह और नाक से खूनी बलगम निकल रहा था, डॉक्टर ने राय व्यक्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की कि तोमिन बाई की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासनावरोध के कारण हुई थी और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

3. इस शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श.पी–9) के प्राप्त होने पर, थाना प्रभारी श्री के.आर.भोई, पुलिस स्टेशन मगरलोड ने दिनांक 24.9.2000 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध करने के लिए प्राथमिकी (प्रदर्श.पी–4) दर्ज की। विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल और जहां मृतका तोमिन बाई का शव पड़ा था, का स्थल मानचित्र (प्रदर्श.पी–5) तैयार किया गया। पुलिस हिरासत के दौरान, अभियुक्त/अपीलकर्ता गोवर्धन ने कीटनाशक की बोतल रखने के स्थान के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ज्ञापन (प्रदर्श.पी–6) दिया और उसके अनुसरण में प्रदर्श.पी–7 के अंतर्गत एक प्लास्टिक की बोतल 'पार्च्लोर' बरामद की। बोतल का एक प्लास्टिक का ढक्कन, जिसमें कीटनाशक की गंध आ रही थी, को भी प्रदर्श.पी–8 के अंतर्गत अपने कब्जे में ले लिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. विवेचना पूरी होने के बाद, आरोपी/अपीलकर्ता गोवर्धन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 498–ए के तहत अपराध करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था और साथ ही आरोपी गोवर्धन के पिता सुखाराम, आरोपी गोवर्धन की मां श्रीमती रामहला बाई, आरोपी गोवर्धन के भाई हेमलाल और आरोपी गोवर्धन की पहली पत्नी श्रीमती राधा बाई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध कारित करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिन्होंने मामले को विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सौंप दिया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने मामले को परीक्षण के लिए स्थानांतरण पर प्राप्त किया। विद्वान उच्च सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त/अपीलकर्ता गोवर्धन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 498–ए के अंतर्गत अपराध तथा सुखाराम, श्रीमती रामहला बाई, हेमलाल और श्रीमती राधा बाई के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के अंतर्गत अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है, अतः उन्होंने अभियुक्तों पर उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप लगाए। हालाँकि, अभियुक्तों ने आरोप से इनकार कर दिया।

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए नौ गवाहों का परीक्षण किया। दूसरी ओर, विद्वान उच्च सत्र न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए, जिनमें उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों को नकार दिया। अभियुक्त गोवर्धन ने कहा है कि वह निर्दोष है, उसने तोमिन बाई की हत्या कारित नहीं की है और अन्य लोग भी तोमिन बाई के पास आते थे।

6. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अतिरिक्त लोक अभियोजक और अभियुक्तगणों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता गोवर्धन को इस निर्णय के पैरा–1 में वर्णित तरीके से सिद्धदोष पाया और सजा सुनाई, हालांकि उन्होंने अभियुक्त सखाराम, श्रीमती रामलाल बाई, हेमलाल और श्रीमती राधा बाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.के. तिवारी और राज्य/उत्तरवादी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा और श्री एम.पी.एस. भाटिया को सुना है।

8. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियुक्त/अपीलकर्ता के खिलाफ मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और 'पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (एआईआर 1990 एससी 79 में रिपोर्ट किए गए); शरद बिरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1984 एससी 1622 में रिपोर्ट किए गए) और अन्य निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

क. जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

ख. उन परिस्थितियों में अभियुक्त के दोष की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए;

ग. परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए तो एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी और के द्वारा नहीं; और

घ. दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

9. अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है, जिसके लिए उसे विचारण न्यायालय ने सिद्धदोष पाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शवपरीक्षण रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतका तोमिन बाई की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासनावरोध से हुई थी, किन्तु शवपरिक्षण प्रतिवेदन एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतक के शरीर में कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई थी, जबकि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतका के दोनों हाथों को पैरों से दबाने के बाद अपने हाथों से मृतका तोमिन बाई की गर्दन दबाई। डॉक्टर के साक्ष्य के अनुसार थायरॉइड-कार्टिलेज फटी हुई पाई गई, ऐसे में गर्दन पर बाहरी चोट रही होगी और चूंकि मृतका की गर्दन पर कोई चोट नहीं पाई गई, इसलिए यह अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतका की गर्दन दबाने की कोशिश की, तो सामान्य तौर पर, मृतका ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, इस प्रक्रिया में उसे चोट लगनी चाहिए थी। लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृतका तोमिन बाई के मुँह में कीटनाशक, एक ज़हरीला पदार्थ, पाया गया था और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, रासायनिक परीक्षण के लिए विसरा को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई रिपोर्ट अभिलेख में नहीं रखी गई है, इसलिए, बचाव पक्ष के इस दावे से इनकार नहीं किया जा सकता कि तोमिन बाई ने ज़हर खाया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए थे और यह केवल ज़हर खाने के कारण ही हो सकता है। अभियुक्त/उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने तर्कों के समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी के विद्वान पैनल अधिवक्ताओं ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

11. अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों की विवेचना करने के लिए यदि हम शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श.पी–9) को देखें जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बाहरी विवेचना में शरीर नीला और सूजा हुआ पाया गया था, कान और उंगलियों के नाखून नीले रंग के थे, मुंह और नाक से खूनी बलगम निकल रहा था, आंख की कंजंक्टिव बंद थी, पुतलियाँ फैली हुई थीं, छाती पेट जननांग अंग गर्दन में सूजन थी जो बंद थी और रंग में काली थी, गर्दन पर रस्सी का निशान नहीं देखा गया था, केवल सूजन थी, थायरॉइड उपास्थि का टूटना और मांसपेशियों में सूजन, कान से खून बह रहा था। आंतरिक विवेचना में डॉक्टर ने पाया कि गर्दन पर कटे हुए ऊतकों पर घाव है, कटे हुए हिस्से पर चोट के निशान हैं, गहरे ऊतकों पर चोट के निशान हैं, स्वरयंत्र और ग्रसनी अवरुद्ध हैं, हृदय खाली है, बड़ी नसें रक्त से भरी हैं और उनकी राय है कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण श्वासनावरोध है, गर्दन पर बाहरी दबाव के कारण वायुमार्ग बंद हो सकता है और मृत्यु प्रकृति में मानव वध है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. मृतका तोमिन बाई के पिता अ.सा.–1 चंदूलाल ने कहा है कि चूंकि आरोपी गोवर्धन की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी इसलिए उसने उसकी बेटी तोमिन बाई से विवाह किया था। उन्होंने आगे कहा कि तोमिन बाई ने एक लड़की को जन्म दिया था, हालांकि, कमजोरी के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वह आरोपी के घर गए और पोला त्यौहार पर तोमिन बाई को अपने घर ले आए। तोमिन बाई 15–17 दिनों तक उसके घर पर रही और उसके बाद उसे आरोपी के घर भेज दिया गया। 4–5 दिनों के बाद आरोपी हेमलाल उसके घर आया और बताया कि तोमिन बाई ने जहर खा लिया है और उसे मगरलोड ले जाया गया है। जब उन्होंने गांव वालों से अपनी बेटी की मौत के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि घटना के एक दिन पहले आरोपी गोवर्धन ने तोमिन बाई को पीटा था, इसलिए उसने गाँव में पंचायत बुलाई थी। अ.सा.–4 लादूराम ने बताया कि दशहरे के दिन तोमिन बाई उसके घर आई तथा बताया कि उसके ससुराल वाले उससे झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप आकर मामला सुलझा लें, जिस पर वह शिवप्रसाद, अवधराम, सोनाऊ, सोमारू आदि के साथ आरोपी के घर गया तथा झगड़ा न करने की समझाइश दी तथा दूसरे दिन सुबह करीब 5 बजे हेमलाल उसके पास आया तथा बताया कि तोमिन बाई

ने जहर खा लिया है तथा उसे उल्टियां हो रही हैं, जिस पर वह आरोपी के घर गया। उल्टी से कीटनाशक की गंध आ रही थी। अ.सा.––5 अवधराम ने अ.सा.––4 लादूराम के उपरोक्त प्रदर्श की पुष्टि की है। अ.सा.––9 डॉ. के.के. सोनी ने बताया कि उन्होंने डॉ. नवरतन के साथ मिलकर मृतका तोमिन बाई के शव का शवपरीक्षण किया और शव की बाह्य विवेचना में पाया कि उसके कान और नाखून नीले पड़ गए थे, मुंह और नाक में बलगम जैसा खून था, आंखें बंद थीं, पुतलियाँ फैली हुई थीं और कोई बाहरी चोट नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी गर्दन की त्वचा भूरी–काली थी और सूजन थी। थायरॉइड कार्टिलेज फटी हुई थी और कान में खून का थक्का जमा हुआ था। आंतरिक विवेचना में डॉक्टर ने पाया कि थायरॉइड कार्टिलेज फटी हुई थी, मस्तिष्क, गुर्दे, तिल्ली में खून था, हृदय के दोनों कक्ष खाली थे, बड़ी आंत में खून था, नाक और कान के ऊतक टूटे हुए थे, पेट में आधा पचा हुआ भोजन था लेकिन पेट में किसी जहरीले पदार्थ की गंध नहीं थी। भोजन को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजने हेतु सुरक्षित रख लिया गया था और उनकी राय में मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासनावरोध के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसलिए, हमें उपरोक्त पृष्ठभूमि में साक्ष्य का विवेचन करना होगा। यह स्वीकार्य स्थिति है कि जब आरोपी गोवर्धन ने तोमिन बाई से विवाह किया, वह पहले से ही विवाहित था, चूंकि पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने तोमिन बाई से विवाह किया। इसके बाद, तोमिन बाई ने एक लड़की को जन्म दिया, जो कमजोरी के कारण मर गई और मृतका के पिता चंदूलाल (अ.सा.–1), (अ.सा.–4) लादूराम और (अ.सा.–5) अवधराम के साक्ष्य के अनुसार, मृतका तोमिन बाई के साथ आरोपी गोवर्धन के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। जब आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने तोमिन बाई को परेशान किया, तो उसने मामले को सुलझाने के लिए अ.सा.–4 लादूराम और अ.सा.–5 अवधराम से संपर्क किया और वे आरोपी के घर गए और उन्हें झगड़ा न करने की सलाह दी। इसलिए, इस पृष्ठभूमि के आलोक में चिकित्सकीय साक्ष्य और डॉक्टर के साक्ष्य की विवेचना की जानी चाहिए। यह सही है कि चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, लेकिन यह निश्चित है कि थायरॉइड कार्टिलेज फटी हुई थी, गर्दन पर सूजन थी, मुँह और नाक में खूनी बलगम था, कानों में खून के थक्के थे, गर्दन पर चोट के निशान थे और शरीर के अंदरूनी ऊतकों में भी चोट के निशान थे। अ.सा.–9 डॉ. के.के. सोनी, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम के उपरोक्त निष्कर्षों को सिद्ध किया है, से इन पहलुओं पर प्रति–

परीक्षण नहीं किया गया। डॉक्टर ने आगे कहा है कि पेट में किसी ज़हरीले पदार्थ की गंध नहीं थी। लेकिन मृतका तोमिन बाई द्वारा ज़हर खाने के इस पहलू पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने डॉक्टर से प्रति–परीक्षण नहीं किया। उनसे इस पहलू पर भी प्रति–परीक्षण नहीं किया गया कि क्या बिना किसी बाहरी चोट के थायरॉइड कार्टिलेज का फटना संभव था और इन पहलुओं पर प्रति–परीक्षण किए बिना केवल यह तर्क देना कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी, चिकित्सा न्यायशास्त्र के आधार पर कि डॉक्टर की राय सही नहीं है, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय राय के मामले में 2004 एसएआर (दाण्डिक) 445 में रिपोर्ट किया है कि "जब तक लेखकों की राय मामले में जांचे गए विशेषज्ञ के सामने नहीं रखी जाती, तब तक विशेषज्ञ के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 1954 एससी 28 में दी गई थी, न्यायाधीशों द्वारा चिकित्सकीय गवाहों के सामने रखे बिना ऐसे अंशों के आधार पर निष्कर्ष निकालने को अस्वीकृत कर दिया था। भगवान दास एव अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 1957 एससी 589 में दी गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि 'हालांकि विशेषज्ञ लेखकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों में व्यक्त की गई राय न्यायालय के लिए सत्य तक पहुंचने में काफी सहायक और महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ऐसा लेखक जो कहता है उसे हमेशा निर्णायक या अंतिम नहीं माना जा सकता है, जिससे न्यायालय भी किसी मामले में साबित किए गए विशिष्ट तथ्यों के आधार पर स्वयं उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। सार रूप में, हालांकि ऐसे विचारों का प्रेरक मूल्य हो सकता है, लेकिन उन्हें हमेशा आधिकारिक रूप से बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है, यहां तक कि किसी मामले में अभियुक्त के अपराध के लिए अन्यथा उचित रूप से अपेक्षित वास्तविक प्रमाण के बिना भी। ऐसी राय को न्यायालय में परीक्षित किसी विशेषज्ञ की राय और सामान्यतः दिए जाने योग्य महत्व से ऊँचा दर्जा नहीं दिया जा सकता।" इसलिए, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई यह दलील कि चूँकि मृतका तोमिन बाई के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी, इसलिए डॉ. के.के. सोनी (अ.सा.–9) का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता, निराधार है, क्योंकि न्यायालय में उपस्थित हुए डॉक्टर से इस पहलू पर प्रति–परीक्षण नहीं किया गया था। वे ही इस मामले में बेहतर स्पष्टीकरण दे सकते थे क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही पोस्टमॉर्टम के समय मृतका के शरीर की जाँच की थी और अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जवाब देने की स्थिति में थे। डॉक्टर के तथ्य और राय उनके द्वारा शरीर की व्यक्तिगत जाँच पर आधारित हैं, क्योंकि थायरॉइड कार्टिलेज फटी हुई थी, मुँह और नाक में खूनी बलगम मौजूद था, कान में भी खून का थक्का जमा हुआ था, गर्दन पर सूजन थी और यहाँ तक कि चोट के निशान और एक्चिमोस्ड भी मौजूद थे। ऊतकों पर चोट के निशान थे। ये कारक गला घोंटने का संकेत देते हैं और उसके आधार पर डॉक्टर (अ.सा.–9) ने अपनी राय दी है। इसलिए, मृतक के शरीर पर गर्दन या किसी बाहरी चोट पर किसी भी तरह के रस्सी के निशान की अनुपस्थिति में, डॉक्टर के उपरोक्त साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य को मामले की पृष्ठभूमि के मद्देनजर देखा जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि तोमिन बाई और आरोपी गोवर्धन के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और घटना से एक दिन पहले भी मृतक तोमिन बाई के अनुरोध पर ग्रामीणों की एक पंचायत बुलाई गई थी, जैसा कि अ.सा.–4 लादूराम और अ.सा.–5 अवधराम के साक्ष्य से पता चलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अब अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर आते हैं कि मृतका तोमिन बाई की मृत्यु जहर यानी कीटनाशक के सेवन से हुई और उन्होंने यह कहते हुए अपने तर्क को पुष्ट करने का प्रयास किया कि मृतका के नाखून नीले पड़ गए थे, हृदय के दोनों कक्ष खाली और अवरुद्ध पाए गए थे और चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार ये लक्षण जहर के सेवन का संकेत देते हैं। लेकिन डॉक्टर के साक्ष्य के अनुसार पेट में जहर की कोई गंध नहीं थी और पेट में मिले भोजन में भी जहर की गंध नहीं थी, जिससे पता चलता है कि तोमिन बाई ने जहर नहीं खाया था, बल्कि यह दिखाने के लिए कि मृतका ने जहर खाया है, तोमिन बाई के मुंह में जहर डाला गया था। जहर के सेवन की संभावना इस तथ्य से खारिज होती है कि थायरॉइड उपास्थि फटी हुई पाई गई थी और अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसा कैसे हुआ। ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण उंगलियों के नाखून भी नीले पड़ सकते हैं, इसलिए केवल इस आधार पर कि मुंह और नाक में खूनी बलगम मौजूद था और उंगलियों के नाखून नीले थे, यह नहीं माना जा सकता कि यह जहर के सेवन के कारण था। यह सच है कि संरक्षित किए गए खाद्य पदार्थ की रासायनिक विवेचना रिपोर्ट इस तथ्य का पता लगाने में काफी मददगार हो सकती थी कि पेट में जहर मौजूद था या नहीं, लेकिन चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा इसे पेश नहीं किया गया है, फिर भी इस मामले के तथ्यों को देखते हुए कि थायरॉयड उपास्थि फटी हुई पाई गई थी, गर्दन और गहरे ऊतकों पर चोट के निशान और एक्चिमोस्ड थे, डॉक्टर (अ.सा.–9) के साक्ष्य को

रासायनिक विवेचना रिपोर्ट के बिना स्वीकार किया जा सकता है और डॉक्टर ने कहा है कि मृतक के पेट से जहर की कोई गंध नहीं आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में रिपोर्ट प्रस्तुत न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि अभियुक्त की निशानदेही पर, अभियुक्त द्वारा प्रदर्श.पी–6 के तहत दी गई जानकारी के अनुसार, जहर की प्लास्टिक की बोतल बरामद की गई थी।

15. इसके अलावा, मृतका तोमिन बाई के शव के पंचनामा (प्रदर्श.पी–2) के अवलोकन से पता चलता है कि मृतका तोमिन बाई के पिता अ.सा.–1 चंदूलाल ने पंचनामा तैयार करते समय भी संदेह जताया था और घटनास्थल के निरीक्षण पर पाया गया कि तोमिन बाई के कमरे का फर्श, जहां तोमिन बाई मृत पाई गई थी, गोबर से लिपा हुआ था और पूछताछ करने पर अभियुक्त/अपीलकर्ता ने बताया कि चूंकि तोमिन बाई ने उल्टी की थी, इसलिए कमरे के फर्श पर प्लास्टर किया गया है। पुलिस के आने से पहले मृतका तोमिन बाई के कमरे के फर्श पर प्लास्टर करने से पता चलता है कि जो जहर तोमिन बाई के मुंह में डाला गया था, वह जमीन पर छिड़का गया होगा और उस प्रभाव को गायब करने के लिए फर्श पर प्लास्टर किया गया होगा। यह परिस्थिति यह भी दर्शाती है कि मृतका के मुंह में जहर इसलिए डाला गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने जहर खा लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, हमारा यह सुविचारित मत है कि मृतका तोमिन बाई की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी और उसके बाद हत्या के साक्ष्य को भ्रमित करने और मिटाने के लिए तोमिन बाई के मुँह में ज़हर डाला गया और जब ज़हर ज़मीन पर गिरा, तो उसे गोबर से पोत दिया गया। तदनुसार, हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सज़ा सुनाने वाली विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं दिखती।

17. परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती, इसलिए यह खारिज किये जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित /–
(एल सी भादू)
(न्यायाधीश)

हस्ताक्षरित/–
(धीरेन्द्र मिश्रा)
(न्यायाधीश)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजन हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Advocate Aatish Mishra

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur